राजस्थान सरकार
गोपालन विभाग

बैठक कार्यवाही विवरण

दिनांक 28.11.2016 को शासन सचिव महोदय, पशुपालन, गोपालन एवं मत्स्य विभाग की अध्यक्षता में गौसंरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम, 2016 एवं इन नियमों के क्रम में जारी दिशा–निर्देश परिपत्र दिनांक 23.11.2016 के अनुसार गौशाला/कांजी हाऊस को तीन माह के लिए आर्थिक सहायता तथा पशुपालन विभाग व राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड से सम्बन्धित बिन्दुओं के सम्बन्ध में वीडियो कान्फ्रेन्सिंग सचिवालय स्थित वीडियो कान्फ्रेन्स कक्ष में सम्पन्न हुई जिसमें निम्न सदस्यगणों द्वारा भाग लिया गया :–

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	विभाग
1.	श्री राजेन्द्र किशन	निदेशक, गोपालन विभाग
2.	डॉ. शैलेश शर्मा	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड
3.	डॉ. महेश कटारा	अतिरिक्त निदेशक, पशुपालन विभाग
4.	डॉ. भवानी सिंह राठौड़	अतिरिक्त निदेशक, पशुपालन विभाग
5.	डॉ. आनन्द सेजरा	अतिरिक्त निदेशक, पशुपालन विभाग
6.	डॉ. प्रदीप सारस्वत	अतिरिक्त निदेशक, पशुपालन विभाग
7.	डॉ. लाल सिंह	अतिरिक्त निदेशक, गोपालन विभाग

वीडियो कान्फ्रेन्सिंग में सर्वप्रथम शासन सचिव, पशुपालन एवं गोपालन द्वारा गौसंरक्षण एवं संवर्धन हेतु निधि नियम तथा इस क्रम में जारी दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत सहायता राशि के लिए स्वीकृति की प्रक्रिया, जिला स्तरीय समिति के कार्य, निधि से लाभान्वित होने हेतु संस्थाओं की पात्रता की शर्तों, आवेदन व भुगतान की प्रक्रिया, आवेदन व सत्यापन की समयसीमा तथा रिकॉर्ड संधारण के लिए विभिन्न प्रपत्रों के संदर्भ में मुख्य–मुख्य प्रावधानों से सभी जिला संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग को विस्तारपूर्वक अवगत कराया तथा जिला संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग को निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये गये :–

1. जिले में स्थित समस्त कांजी हाऊस/गौशालाओं का तथा उनमें दिनांक 01.12.2016 को संधारित गौवंश का भौतिक सत्यापन प्रपत्र (अ) में दिनांक 03.12.2016 तक पूर्ण करालें।
2. भौतिक सत्यापन हेतु गौशालाओं की संख्या एवं गौवंश की अनुमानित संख्या के आधार पर जिला कलक्टर से शीघ्रतम सम्पर्क कर गौशालावार अधिकारियों की टीम निर्धारित कर दें। टीम में पशु चिकित्सक, तहसीलदार एवं विकास अधिकारी या अधीनस्थ अन्य अधिकारी सम्मलित हो सकते है।
3. निर्धारित अधिकारियों के माध्यम से गौसंरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम, 2016 तथा सहायता राशि के दिशा–निर्देश परिपत्र दिनांक 23.11.2016 के मुख्य–मुख्य प्रावधानों से तथा आवेदन पत्र शपथ पत्र/पंजिकाओं के प्रपत्र आदि से गौशाला प्रबन्धन को भी शीघ्र ही अवगत करावे।
4. गौशाला/कांजी हाऊस तथा संधारित गौवंश की उक्त इकजाई भौतिक सत्यापन एवं गौशाला को आवंटित कोड की सूचना निर्धारित प्रपत्र–(ब) में निदेशक गोपालन को ई–मेल dir.dgs@rajasthan.gov.in पर दिनांक 05.12.2016 तक प्रेषित कराना सुनिश्चित करे।
5. निदेशक गोपालन द्वारा अवगत कराया गया कि संस्था द्वारा संधारित गौवंश की पहचान हेतु टैग लगाना अनिवार्य होगा। प्रत्येक गौवंश का नम्बर **एक ही** अर्थात Unique होगा। संधारित गौवंश पर यदि टैग पहले से ही लगा हुआ हो तो उस टैग नं. के आधार पर संबंधित गौवंश का इन्द्राज निर्धारित रजिस्टर (प्रपत्र–5) में गौशाला प्रबन्धन द्वारा सुनिश्चित करना होगा, यदि गौवंश का टैग नहीं लगा हुआ है तो एकरूपता की दृष्टि से निम्न प्रकार टैग नम्बर अंकित किया जायेगा।

टैग पर प्रथमतः जिले का कोड/द्वितीय–गौशाला का कोड/तृतीय–गौवंश का रजिस्टर क्रमांक अंकित होगा। समस्त जिलों हेतु कोड इन दिशानिर्देशों के साथ संलग्न है। गौशाला का कोड जिला संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग द्वारा गौशालाओं के नाम के प्रथम अक्षर के आधार पर अंग्रेजी वर्णमाला (Alphabetical) के अनुसार जिला स्तर पर निर्धारित कर गौशालाओं को अवगत कराया जायेगा। गौवंश का क्रमांक गौशाला में संधारित रजिस्टर के आधार पर गौशाला प्रबन्धन द्वारा स्वयं के स्तर पर निर्धारित किया जायेगा। गौशाला द्वारा टैग की संख्या के आधार पर अपने कार्यालय में गौवंश का एक रजिस्टर संलग्न प्रपत्र–5 में संधारित करना होगा। किसी गौवंश की मृत्यु/ स्थानान्तरण/दान/विक्रय या अन्य कारणों से गौशाला से निकास हो जाता है तो इस रजिस्टर में लाल स्याही से अंतिम कॉलम में अंकित करना अनिवार्य होगा ताकि भौतिक सत्यापन के समय स्थिति स्पष्ट हो सके।

6. किसी संस्था/गौशाला द्वारा व्यावसायिक कारोबार/व्यापक उत्पादन एवं विपणन की गतिविधि की जा रही हो तो यह सुनिश्चित करने के बाद ही सहायता राशि स्वीकृत करें कि वह संस्था/गौशाला लाभ की स्थिति में नहीं हो।

7. निदेशक, गोपालन द्वारा अवगत कराया गया कि गौसंरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम, 2016 एवं गौशाला/कांजी हाऊस में संधारित गौवंश हेतु सहायता राशि के वितरण के सम्बन्ध में जारी दिशा–निर्देश के प्रावधानों का समुचित अध्ययन कर सम्बन्धित जिला कलक्टर से व्यक्तिगत सम्पर्क एवं समन्वय कर पालना सुनिश्चित करावे ताकि पारदर्शिता के साथ नियमानुसार एवं दिशा–निर्देशोनुरूप सहायता राशि गौशाला/कांजी हाऊस को उपलब्ध कराई जा सके।

8. संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, हनुमानगढ़ द्वारा गौवंश की पहचान हेतु टैग लगाने के अन्तर्गत ग्राम के नाम के आधार पर गौशालाओं को कोड आवंटित किये जाने हेतु सुझाव दिया। जिसके क्रम में शासन सचिव महोदय, पशुपालन एवं गोपालन द्वारा दिये गये सुझाव को लागू करने हेतु सभी जिला संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग को निर्देशित किया कि जिले की समस्त गौशालाओं का विवरण गौशालावार इकजाई कराकर **ग्राम के नाम के आधार पर** अंग्रेजी वर्णमाला के वर्णाक्षर (Alphabate) के आधार पर प्रत्येक गौशाला को टैगिंग के लिए कोड आवंटित करे।

9. संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, नागौर टोंक, सीकर, जैसलमेर, जालौर, सिरोही, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ एवं उप निदेशक, पशुपालन विभाग, कुचामनसिटी को राज्य में प्रत्येक गौशाला को एक उपकेन्द्र एवं पशु चिकित्सा अधिकारी से सम्बद्ध करने की सूचना निदेशालय गोपालन को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।

10. जिन जिलों की 37 बिन्दुओं से सम्बन्धित सूचना प्राप्त नहीं हुई है उनको दिनांक 05.12.2016 तक गौशालावार सूचना भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।

पशुपालन विभाग से सम्बन्धित बिन्दु :–

1. आर.के.वी.वाई. अन्तर्गत सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से स्वीकृत समस्त कार्यों की राशि मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग को आवंटित की जा चुकी है। अतः समस्त जिला अधिकारी चालू वित्तीय वर्ष में स्वीकृत समस्त कार्यों को पूर्ण करवा लेवें।

2. आगामी वर्ष (2016–17) के लिए निर्माण कार्यों के लिए किसी प्रकार की राशि का प्रावधान नही कराया गया है। अतः सार्वजनिक निर्माण विभाग को आंवटित राशि का शत प्रतिशत उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही कराया जाकर कार्यों को पूर्ण करावें।

2-12